भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
प्रथम एवं द्वितीय तल, सी0जी0ओ0 परिसर,
लांगवुड, शिमला–171001
वर्तमान पता: एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, SHIMLA
FIRST & SECOND FLOOR, C.G.O COMPLEX
LONGWOOD, SHIMLA-171001
PRESENT ADDRESS: INTEGRATED REGIONAL OFFICE, 25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / एच.पी. / 06 / 38 / 2021 / एफ.सी. / 16 दिनांक: 09 / 04 / 2021

सेवा में,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
आर्मसडेल बिल्डिंग, शिमला।

विषय : **Diversion of 0.147 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Bhali to Bhanivari, (Kms. 0/00 to 1/900), within the jurisdiction of Nurpur Forest Division, Distt. Kangra, H.P. (online no. FP/HP/Road/11362/2015)**

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के पत्रांक एफ.टी. 48–3028 / 2015 (एफ.सी.ए.) दिनांक 23.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण पर नोडल अधिकारी एवम अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार **Diversion of 0.147 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Bhali to Bhanivari, (Kms. 0/00 to 1/900), within the jurisdiction of Nurpur Forest Division, Distt. Kangra, H.P** हेतु **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**

क)प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 300 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि @ CA rate for 0.294 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जायें।

ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना के साथ क्षेत्र का नाम एवं geo coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र एवं क्षेत्र का नाम इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।

ग) राज्य सरकार निर्देशित guideline para 1.21 (ii) के अनुसार FCA,1980 के उल्लंघन फलस्वरूप Penal NPV की निर्धारित राशि कैम्पा कोष में online web portal द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण के माध्यम से जमा करेगी जिसमें 12% annual interest date/year of violation से deposit किये जाने तक की तिथि तक calculate किया जायेगा।

4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **0.147** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा **I A No. 3840 in WP (c) No. 202/1995** मे वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत् भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।
7. राज्य सरकार इस बाबत् इस कार्यालय में प्रमाण पत्र प्रेषित करेगी कि बगैर एफ.सी.ए, 1980 के प्रावधानों की अनुपालना किए इस सड़क निर्माण प्रक्रिया में कोई राजकीय राशि अथवा योजना सम्मिलित नहीं है। यह प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण, राजस्व एवं वन–विभाग द्वारा संयुक्त रूप से प्रेषित किया जाए।
8. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।
9. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 115 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में उनके आदेशानुसार कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
10. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
11. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
12. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
13. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
14. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
15. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
16. वन एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
18. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearing अंकित हों।
19. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
20. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
21. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
22. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
23. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
24. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

9/5/21

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी(वन)
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरवाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला।
3. डी0एफ0ओ0 नुरपुर, नुरपुर वन प्रभाग, हि0प्र0।
4. आदेश पत्रावली।

(डा0 योगेश गैरोला)
तकनीकी अधिकारी(वन)
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून